न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या:–**26/2020** दायर दिनाँक **21.08.2020**

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. याकुब खां पुत्र इनायत खां जाति कायमखानी निवासी अमरपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. मोहम्मद सौकिन खान पुत्र उम्मेद खां 2. खान मोहम्मद खां पुत्र उम्मेदखां 3. खुशीम मोहम्मद पुत्र उम्मेद खां 4. असरी पत्नि उम्मेद खां 5. मेहर बानो पुत्री उम्मेद खां 6. इस्लाम बानू पुत्री उम्मेद खां 7. मुस्ताक खां पुत्र इनायत खां 7/1 सलमान खां पुत्र मुस्ताक खां 7/2 सिकन्दर खां पुत्र मुस्ताक खां (नाबालिक) 7/3 अफसाना पुत्री मुस्ताक खां 7/4 किस्मत बानो पत्नि मुस्ताक खां (अप्रार्थी सं. 7/2 नाबालिक जरिये संरक्षक माता किस्मत बानो) समस्त जाति कायमखानी निवासी अमरपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। 8. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील प्रार्थी।
2. श्री सुरेन्द्र पुरी वकील अप्रार्थी ।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **15.07.2021**

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि ग्राम अमरपुरा का खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 399/320 रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा जो कि मौजा अमरपुरा पटवार क्षेत्र दादुबासनी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर में अवस्थित है। उक्त खसरा नम्बर 399/320 में वर्तमान में ह[illegible] तक प[illegible] कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जि[illegible] रास्ते के लिए आवेदन कर रहा है। अतः [illegible] अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उप[illegible] (1) के अन्तर्गत रास्ता की अनुमती लेना चाहते है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:39:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक रीडर/2021/317 दिनांक 26.03.2021 के अनुसार आवेदक के पुराने खेत खसरा सं0 399/320 व नया खसरा सं. 426 रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा में जो संयुक्त खातेदारी का खेत है के कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। आवेदक को अपने खेत में आने जाने हेतुं रास्ते की आवश्यकता है। आवेदक के पुराने खेत खसरा सं0 399/320 व नये खसरा सं. 426 के सबसे नजदीक कटाणी रास्ता अप्रार्थी के पुराने खेत खसरा सं0 398/320 व नये खसरा सं. 425 प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु सबसे नजदीक रास्ता पूर्वी सीमा के सहारे 20 फुट चौड़ा व लम्बा 470 फुट का रास्ता प्रस्तावित है जिसका कुल क्षैत्रफुल 470X20 = 9400 वर्ग फुट या 11 बिस्वा का रास्ता बनता है ।

तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व अप्रार्थी के पुराने खेत खसरा सं. 398/320 व नये खसरा सं. 425 से प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत पुराने खसरा नम्बर 399/320 व नये खसरा सं. 426 रकबा 30.13 बीघा वाकै सरहद अमरपुरा में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः रीडर/2021/317 दिनाँक 26.03.2021 में दर्शित भूमि अप्रार्थी के पुराने खेत खसरा संख्या 398/320 425 वाके सरहद अमरपुरा में कुल 11 बिस्वा रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः रीडर/2021/317 दिनाँक 26.03.2021 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:39:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 15 [illegible] 2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner